PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 7, ISSUE 4

# महिला आरक्षण और सशक्तिकरण

**डॉ. छाया आर. सुचक**

विजयनगर आर्टस कोलेज,

विजयनगर (साबरकांठा-गुजरात)

भारत में महिलाओं को कानूनन वे सभी अधिकार प्राप्त है जो पुरुषों को प्राप्त हैं, पर व्यवहार में अनेक विसंगतियाँ हैं, जिन्होंने महिलाओं की सोच में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है । मिसाल के तौर पर, परिवार के अन्दर ही लड़कियों को अपने भाइयों की तरह पढ़ाई-लिखाई, खेलकूद, खाने-पीने तक की सुविधा नहीं मिलती । शादी के मानले में ज्यादा से ज्यादा लड़का दिखाकर उसकी मर्जी का पता लगाने की रस्म पूरी कर ली जाती है । बाद में लड़की की जिन्दगी दूभर हो जाए और उसकी जान चली जाए, तब माँ-बाप भले रोते रहें, उससे पहले कुछ नहीं होता । नाबालिग लड़कियों की शादियाँ गैर-कानूनी होने के बावजूद आज भी अनेक स्थानों पर खुलेआम हो रही है । इस मामले में राजस्थान तो बाल विवाह के लिए सुप्रसिद्ध है । सार्वजनिक जीवन में लड़कियों का प्रवेश साधारणतः वर्जित है, क्योंकि बड़ों की निगाह में वहाँ चाल-चलन बिगड़ने का डर रहता है । लड़की कुंवारी हुई तो उसके लिए लड़का तलाश करना रेगिस्तान में पानी ढूँढने के बराबर लगता है । नौकरियों के मामले में पहले के मुकाबले अब काफी छूट देखी जाती है, इसलिए भी कि नौकरीशुदा (कमाने वाली) लड़की की शादी ज्यादा आसान हो गई है, पर कमाऊ लड़कियों की कठिनाइयाँ घर-बाहर दोनों जगह बढ़ गई हैं । यही सब विचार कर समाजवादी नेता डो. राममनोहर लोहिया ने पिछड़े वर्ग में महिला को भी शामिल किया था, किन्तु स्वयं पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपने वर्गीकरण में महिलाओं को अलग से स्थान नहीं दिया । पूरी दुनिया में निगाह दौड़ने पर यह

देखा गया कि पुरुषों से किसी प्रकार कम न होने पर भी, महिलाओं के साथ लगभग सभी जगह भेदभाव होता चला आया है ।

जो आँकड़े यूनिसेफ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने एकत्र किए है, उनके अनुसार कुल आबादी में आधी होते हुए महिलाएँ दो-तिहाई काम करती हैं, पर उनके काम का सिर्फ एक-तिहाई दर्जा हो पाता है । संसार में जितनी कुल सम्पत्ति है, उसका सिर्फ दसवाँ हिस्सा उनके नाम है । एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के विवरण से पता चलता है कि ग्रामीण अंचल में यह अन्तर और अधिक है । इसका कारण यह है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों द्रष्टियों से महिला को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है । विकासशील देशों में (भारत भी उन्हीं में है) महिलाओं की हालत और भी शोचनीय रही है ।

**लड़की पैदा ही नहीं होगीः**

इस परिस्थिति का और अधिक क्रूर स्वरूप हुआ, लड़की को पैदा होने के बाद उसे समाप्त कर देना या उसे पैदा ही न होने देना । यह केवल गरीब घरों की बात नहीं है । एक मामला इन दिनों उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, जिसके अनुसार स्त्री जब भी गर्भवती होगी, वह लड़का ही पैदा करेगी, लड़की नहीं । इस डोक्टरी प्रक्रिया (एरिक्सन तकनीक) पर कई लाख रुपए खर्च होते हैं । जाहिर है कि यह काम पैसे वाले ही कर सकते हैं । सामान्य आमदनी वाले के बस की बात नहीं है । गरीब आदमी लड़की की जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे जान से मार नहीं पाता तो इधर-उधर डाल आता है या अनाथालय में लड़कियों की संख्या बढ़ा देता है । इस झंझट से बचने के लिए यदि नई विधि के जरिए लड़की पेट में आएगी ही नहीं तो न उसके पैदा होने का सवाल और फिर न उसे मारने, फेंकने या कोई अन्य अपराध करने का सवाल । कहते हैं कि यह एरिक्सन तकनीक हिन्दुस्तान के अनेक शहरों में धड़ल्ले से अपनाई जा रही है । उच्चतम न्यायालय के सामने प्रश्न है कि जब लड़की को पेट के अन्दर ही या बाहर मारा नहीं गया, फिर भी क्या वह जुर्म की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है, जो अभी तक भारतीय दण्ड विधान में नहीं है ।

घर का कर्त्ताधर्त्ता मर्द माना जाता है । इसलिए लड़का ही परिवार का भविष्य है । दहेज पर चाहे जितना प्रतिबन्ध हो, लड़के को दहेज मिलेगा ही, चाहे वह किसी कामकाज से

लगा हो अथवा न लगा हो । अगर वह कहाँ आई. ए. एस. हुआ तो फिर पाँचों अँगुली घी में हैं । कानूनन दहेज लेना अपराध होने पर भी व्यापारी वर्ग ही नहीं, राजनेता, मन्त्री, सरकारी अधिकारी, सभी लोग दहेज लेने में संकोच नहीं करते । यह बड़प्पन की निशानी है । दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता के अलावा अन्य शहरों और कुछ कस्बों में भी शादी के मौसम में इस बड़प्पन की चकाचौंध होती रहती है, जिससे सिर्फ नाते, रिश्तेदार ही नहीं, राज्यपाल, मन्त्री और बड़े-बड़े अफशर भी देखे जा सकते हैं । लक्ष्मी की डोर अच्छे-अच्छों को बाँध लेती है । लड़का-लड़की के भेदभाव का एक त्रासद और खतरनाक परिणाम यह हुआ कि लड़कियों की संख्या कम होने लगी है । 1981 की जनगणना में पाया गया कि भात की कुल आबादी में 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियाँ सिर्फ 934 थीं । 1991 में स्त्रियों की संख्या और घटकर 927 रह गई । इससे कई सामाजिक कुरीतियाँ और अपराध बढ़ने की आशंका पैदा हुई । शोरगुल हुआ । 2001 की जनगणना के जो आँकड़े आए हैं उनके अनुसार यह असन्तुलन कुछ कम हुआ है ।

**पंचायतों में महिलाएँ:**

पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद सभी देशों में महिलाओं को उचित स्थान देने के आन्दोलन ने जोर पकड़ा । इसका एक उपाय भारत में यह निकला कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि अपने-आप उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । जब वे फैसला करने के मंचों पर पहुँचेगी तो वर्तमान असन्तुलन दूर होने लगेगा । भारतीय संसद ने 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया । पंचायतों के चुनाव भी हो गए । यह नहीं कहा जा सकता कि सभी पंचायतों में महिलाओं की जो प्रतिष्ठा होनी थी, हो पाई है ।

**महिलाओं की विशिष्टताः**

ऐसा नहीं है कि इस देश में योग्य और प्रबुद्ध महिलाओं की कमी हो । प्राचीनकाल में ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी और मैत्रेयी के उच्चतम दार्शनिक संवादों को हम न याद करें तो भी वर्तमान युग में हमने विलक्षण प्रतिभाशाली महिलाओं के दर्शन किए हैं । गिनती के लिहाज से कम होने के बावजूद महिला सदस्यों ने संसद में जो धाक जमाई है, वह अगर

पुरु, सदस्यों को भयभीत करे कि अधिक महिलाओं के आ जाने पर वे खुद कितने कम और कमजोर हो जाएँगे, तो कोई आश्चर्य नहीं । जिन लोगों ने संसद की बहस सुनी है, उन्हें यह कहने में संकोच नहीं होगा कि महिला सदस्यों में वह प्रतिभा मिल जाएगी, जो ऊँचे से ऊँचा पद सम्भालने योग्य हो । यदि आरक्षण की व्यवस्था हो गई तो निश्चय ही उसके बाद की आगामी लोकसभा कहीं अधिक सार्थक ही नहीं आकर्षक और सम्भवतः अनुशासनप्रिय भी हो जाए । पुरुषों की देखादेखी इक्का-टुक्का छोड़कर कोई भी महिला सदस्य पुरुष सदस्यों की तरह गला फाड़कर सदन के काकाज में बाधा डालने वालों में शामिल नहीं है । जो भी हो, महिला आरक्षण को लेकर जो असमंजस या दिक्कत अभी है, उसका समाधान करने का प्रयास होना चाहिए । कुछ पुरुष सदस्यों की राय थी (जिसे खुलकर कहने में उन्हें संकोच था) कि महिलाएँ अपना आरक्षण तैंतीस फीसदी से घटाकर पन्द्रह या बीस फीसदी कर देने को राजी हो जाएँ तो विधेयक ज्यादा आसानी से पास हो सकता था । अधिक साधन सम्पन्न महिलाएँ फिर भी गैर-आरक्षित सीटों से लड़ सकेंगी, जैसे वे अभी तक लड़ती रही हैं और जो न सिर्फ चुनाव जीती हैं, उन्होंने संसद की शोभा बढ़ाई है, उसे गरिमा प्रदान की है, चाहे वे किसी पार्टी की हों, किन्तु 13वीं लोकसभा भंग हो गई और विधेयक स्वत्वहीन हो गया । अब चौदहवीं लोकसभा से आशा की जानी चाहिए कि वह देश की आधी आबादी के इस महत्त्वपूर्ण विधेयक को अवश्य ही अमलीजामा पहनावेगी ।

महिलाओं की उन्नति, विकास और शक्ति-सम्पन्नता इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है । सम्बन्धित वर्गों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित करने हेतु इसका व्यापक प्रचार महिला सशक्तिकरण के कार्य में अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हो सकता है ।

**लक्ष्य तथा उद्देश्यः**

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति तथा शक्ति-सम्पन्नता है । इस नीति का व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा, ताकि इसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित वर्गों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके । विशिष्ट रूप से इस नीति के लक्ष्यों में शामिल हैं ।

1. महिलाओं की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से वातावरण का सृजन ।

2. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपभोग ।

3. राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी तथा निर्णय-स्तर तक समान पहुँच ।

4. सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल, स्तरीय शिक्षा, जीविका तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक पदों इत्यादि में महिलाओं की समान पहुँच ।

5. महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण ।

6. पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक रवैये और प्रथाओं में परिवर्तन ।

7. विकास प्रक्रिया में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना ।

8. महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा के सभी रूपों तथा भेदभावों का उन्मूलन ।

9. सिविल समाज, विशेषकर महिला संगठों के साथ भागीदारी बनाना तथा उसका सुदृढ़ीकरण ।

**विकास प्रक्रिया में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लानाः**

महिलाओं को मुख्य धारा में लाने वाले तन्त्रों की प्रगति का समय-समय मूल्यांकन करने के लिए समन्वय तथा प्रबोधन तन्त्र बनाए जाएँगे । इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के मुद्दों पर विशे, ध्यान दिया जाएगा तथा ये सभी सम्बन्धित कानूनों, क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं तथा कार्यवाही कार्यक्रमों में परिलक्षित होंगे ।

## संदर्भः

1. कन्या भ्रूणहत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, प्रकाश निारायण नाटाणी, बुक एनक्लेव, जयपुर ।
2. भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएँ, डो. सुलोचना श्रीहरी देशपांडे, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर ।
3. महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा और कन्या भ्रूणहत्या, प्रकाश नारायण नाटाणी, बुक पब्लिकेशन, जयपुर ।
4. www.googlesearch working womans and devlopment